

		दूरभाष /Telephone:044-28335001 फेक्स /Fax :044-28331015
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CGST AND CENTRAL EXCISE, TAMILNADU AND PUDUCHERRY ZONE 26/1,महात्मागांधीमार्ग, नुंगम्बाक्कम, चेन्नै-600 034 26/1, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai 600 034		

सी.सं./C.No.II/31/11/2018-सं.नि.प्रा.-स्था./CCA.Estt.

दिनांक/Date : 18/12/2018.

नियुक्ति प्रस्ताव / OFFER OF APPOINTMENT

Sub : Estt. - Recruitment to the post of Junior Translator in GST and Central Excise
 Allocation of candidates on the basis of results of Junior
 Translator Examination-2017, conducted by SSC - Reg.
 &&&&&&

कनिष्ठ अनुवादक परीक्षा - 2017 के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग, चेन्नई द्वारा प्रायोजित तथा बोर्ड के दिनांक 10.10.2018 के पत्र एफ. सं. 12034/क.च.आ./14/2017 - ए.डी. III (बी) द्वारा कनिष्ठ अनुवादक, समूह "ख" (अराजपत्रित / अलिपिकवर्गीय) के पद पर वस्तु और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल में आबंटित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को एन्ट्री पे रु. 35,400/- (7 वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स लेवल 6, इंडेक्स 1) प्लस समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते में कनिष्ठ अनुवादक (वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और निम्नलिखित चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के वस्तु और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तलयों में नीचे दर्शाए गए अनुसार नामित / तैनात किया जाता है -

The following candidates, sponsored by the Staff Selection Commission, Chennai on the basis of the Junior Translator Examination, 2017 and allocated to the Chennai GST Zone for the post of Junior Translator of GST & Central Excise vide Board's letter F.No.12034/SSC/14/2017- Ad.III B dated 10.10.2018 are offered appointment to the post of Junior Translator (GST & Central Excise) in the Entry Pay of Rs.35,400 /- (Index 1,Level 6 in Pay Matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and is nominated / posted to Chennai GST Zone of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:-

क्रम सं. Sl. No.	श्रेणी सं. एसएलडी/ Rank No.	नाम /Name श्री /श्रीमती /कुमारी S/Shri/Smt./Kum.	जन्म तिथि Date of Birth	किस आयुक्तालय को तैनात Nominated/ Posted to Commissionerate
1	257	RAVISH KUMAR	18.04.1991	Pr.CCO, CHENNAI (On loan basis to COIMBATORE)
2	279	ANINDITA BANERJEE	01.09.1988	Pr.CCO, CHENNAI

2. अभ्यर्थियों को चेन्नै अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है।

The address of the Commissionerate of the GST & Central Excise, Chennai Cadre Control Zone where the candidates have to report is enclosed for reference.

3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है तथा आगे के आदेश तक है।

The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.

4. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगा।

This appointment order is subject to following conditions.

5. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताएँ, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नोटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें।

Their services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

6. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

They will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, they will be considered for confirmation in the said post.

7. आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीनता माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यक्रमों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए।

The candidates shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

8. वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के जूनियर ट्रांसलेटर के ग्रेड में अभ्यर्थियों की वरीयता, चालू आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

The seniority of the candidates in the grade of Junior Translator of GST & Central Excise will be fixed as per the orders in force.

9. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, they will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

10. वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त, चेन्नै के संवर्ग नियंत्रण अधिकार - क्षेत्र के अंदर कहीं भी उन्हें तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है।

They will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Chennai.

11. यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की है, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

They will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12. प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिम स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अनुसार कार्यग्रहण अवधि के हकदार होंगे। लेकिन 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरा न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under these rules. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time would not be entitled to joining time pay.

13. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा या इस प्रभाव के सत्यनिष्ठा अभिकथन देना होगा।

On joining the post, they will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

14. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
If they are already employed, they should produce a relieving order from the previous employer.

15. अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt(Res) dated 02.07.1997 as applicable), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा, जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। अगर नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए।

If they claim to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt(Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or not to belong to creamy layer is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

16. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होती बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

17 अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएं तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें जूनियर ट्रांसलेटर पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएं तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon their satisfying the requirement mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with their reply. If, however, they do not fulfil the above condition and they desire to be exempted from the above mentioned rules for any reason, they should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course, if upon consideration of their representation, it is decided to offer them appointment to the post of Junior Translator.

18. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से निष्कासन तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्यवाई का भागी होगा।

If any declaration given or information furnished by them is proved to be false or if they are found to have wilfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

19. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित जिला / पुलिस अधिकारियों से पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट / संबंधित / जारी करने वाले प्राधिकारियों से जाति प्रमाण पत्र / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि की प्राप्ति पर निर्भर है। यदि संबंधित अधिकारियों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो, कर्मचारियों की सेवाएं कोई कारण या नेटिस दिए बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities/Caste certificate from the concerned issuing authority/verification of certificate of education issued by the University. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

20 उम्मीदवार को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामांकित आयुक्तालय में दिनांक 18.01.2019 को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी।

They shall report for duty at the Office of the nominated Commissionerate on or before 18.01.2019 with a copy of the following documents along with original documents :

- (i) शैक्षणिक योग्यताओं की अनुप्रमाणित प्रति
Attested copies of Educational Qualifications;
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति
Attested copy of Certificate of Age;
- (iii) संलग्न प्रपत्र में वैवाहिक स्थिति की घोषणा
Declaration of Marital Status in the form enclosed;
- (iv) अ.जा / .अ.ज.जा / .अ.पि.व .के अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;
- (v) वर्तमान नियुक्ता, यदि हो तो, से कार्यमुक्ति आदेश।
Relieving order from the present employer (if applicable).

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा।

Failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

21. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1 - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मात्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन प्रणाली लागू होगी। सी सी एफ (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 (2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

के.वी.रेड्डी 18.12.2018
(Dr. K VENKAT RAM REDDY)
ADDITIONAL COMMISSIONER

सेवा में / To,

संबंधित व्यक्ति /The Individuals

कॉपी प्रस्तुत करने के लिए /Copy submitted to:

1. The Under Secretary, Ad.III(B), CBEC, Ministry of Finance, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
2. Directorate of General of Performance Management, CBIC, Southern Regional Unit, 5th & 6th Floor, Drum Shape Building, I.P.Bhavan, New Delhi.

को कॉपी/ Copy to:

- The Principal Commissioner of GST & Central Excise, Coimbatore.
 - The Chief Accounts Officer, Pr.CCO
 - ✓The Superintendent (Computer Section), Chennai North – **for displaying on official website.**
- Master file/Spare copy